



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष 1936 (श0)  
(सं0 पटना 182) पटना, वृहस्पतिवार, 15 जनवरी 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं  
15 जनवरी 2015

एस०ओ० 3, दिनांक 15 जनवरी 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 24, दिनांक 24.03.2005 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-6 के स्तम्भ 3 में प्रविष्टि "16.00 %" को प्रविष्टि "18.00 %" द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-04/2014-269]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डा० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 जनवरी 2015

एस०ओ० 4, एस०ओ० 3, दिनांक 15 जनवरी 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-04/2014-270]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डा० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 15th January 2015*

S.O. 3, dated 15th January 2015—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to substitute the entry " 16.00 % " in Column no. 3

of serial no. 6 of the table appended to Commercial Taxed Department Notification No. S.O. 24 dated 24<sup>th</sup> March, 2005 as amended from time to time, by the following entry “ 18.00 % ” with immediate effect.

[No. Bikri-kar/Sansodhan-04/2014-269]

By order of the Governor of Bihar,  
DR. E.L.S.N. BALA PRASAD,  
*Commissioner-cum-Secretary,*  
*Commercial Taxes Department.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 182-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>